(TO BE PUBLISHED IN PART-V SECTIONS – II OF DELHI GAZETTE ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

Dated: 22/11/2021

NOTIFICATION

No.F.8(02)/2021/DAM/MR/2490 In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999) and consequent upon the election of Chairman of the Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi during the first meeting of the aforesaid Marketing Committee, held on 11.11.2021 I, H.P.S. Sran, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi hereby notify the name of the following as Chairman of the aforesaid Marketing Committee:-

Haji Meharban Qureshi 4, Racquet Court Road, Civil Lines, Opp. Delhi Vidhan Sabha, Delhi-110054. Chairman

The terms of the office of the Chairman of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions under section 44 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998.

H.P.S. SRAN)

DIRECTOR (AGRICULTURAL MARKETING)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No.F.8(02)/2021/DAM/MR/ 2491 - 2505

Dated: 22 11 2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9 The Chairman, Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Part-V Section-II of Delhi Gazette Ordinary and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Chairman/Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market), Gazipur Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 13 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 14 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

15 Guard file.

(H.P.S. SRAN)

DIRECTOR (AGRICULTURAL MARKETING)

GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली साधारण गजट के भाग—5 खण्ड—।। में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक : 22/11/2021

अधिसूचना

सं एफ 8(02)/2021/डी०ए०एम०/एम०आर०/2490 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मछली, मुर्गा एवम अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली की पहली बैठक दिनांक 11—11—2021 में अध्यक्ष के चुनाव के उपरान्त, मैं एच.पी.एस. सरन, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निम्निलिखित को उपरोक्त विपणन समिति का अध्यक्ष अधिसूचित करता हूँ:—

हाजी मेहरबान कुरेशी 4, रेसकोट कोर्ट रोड़, सिविल लाईनस, ऑपोजिट दिल्ली विधान सभा, दिल्ली—110054.

अध्यक्ष

उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 44 के अर्न्तगत प्रावधान के अनुसार होगा।

(एच.पी.एस. सरन)

निदेशक (कृषि विपणन) राज्यानी क्षेत्र दिल्ली समस्या

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं एफ 8(02)/2021/डी०ए०एम०/एम०आर०/2491-2505 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

दिनांकः 22 | 11 | 2021

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इस अनुरोध के साथ कि दिल्ली साधारण गजट के भाग—5 खण्ड—।। में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम सें।
- 14 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

15 गार्ड फाईल।

(एच.पी.एस. सरन)

निदेशक (कृषि विपणन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार